मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 24 जनवरी 1975 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण) नियम 1975

(अधिनियम की धारा 5 देखिये)

1. ये नियम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण) नियम 1975 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में 'अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972).

3. राज्य सरकार, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके उपयोग के लिये एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेगी गाड़ी 30,000.00 रूपये से अनअधिक मूल्य की होगी गाड़ी की बनावट तथा मॉडल ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में उपयुक्त समझे.

4. गाड़ी, उसके उपसाधनों (एसेसरीज) सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति रहेगी. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद त्याग दे उसकी गाड़ी उपसाधनों सहित मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिव को वापस कर दी जायेंगी.

5. कोई भी गाड़ी तब तक नहीं बदली जायेंगी जब तक कि उसने पांच वर्ष तक की सर्विस पूरी न की हो या बीस हार्स पावर के ऊपर की गाड़ी के मामले में एक लाख बीस हजार किलो मी. की कुल दूरी तथा बीस हार्स पावर से नीचे की गाड़ी के मामले में अस्सी हजार किलो मी. की कुल दूरी तय न कर ली हो.

परन्तु यह कि ऐसी मोटर गाड़ी जो पांच वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने के पूर्व या ऊपर विनिर्दिष्ट की गई कुल दूरी तय कर लेने के पूर्व किसी भी कारण से अनुपयुक्त हो जाये, शासकीय गाड़ियों के लिये शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् बदली जा सकेगी.

6 (1) गाड़ी के अनुरक्षण तथा रख रखाव के व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे.

टिप्पणी :- गाड़ी के अनुरक्षण तथा रख रखाव में सम्मिलित है मोटर चालक (शोफर) का वेतन, रजिस्ट्रिकरण, बीमा फीस को सम्मिलित करते हुए, समस्त कर मरम्मत के समस्त व्यय जिसके अंर्तगत नियत कालिक सर्विसिंग आदि आते है तथा टायर और टयूबों को सम्मिलित करते हुए घिसे भागों (पार्टस) का बदला जाना.

(2) प्रत्येक मास के प्रारंभ में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिव को यह कथित करते हुए यह एक प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा कि अधिनियम की धारा पांच के अधीन अनुज्ञात यात्राओं के उपयोग हेतु ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा मोटर ईधन की कुल कितनी मात्रा क्रय की गई.

7. मध्यप्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर (पर्चेस एण्ड मेन्टेनेन्स आफ कन्वेन्सेस) रूल्स 1957 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि की गई ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्ही भी उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत् स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी.